संख्या-28/2016/1212/चालीस-16-18(2)/2016

प्रेषक,

अशोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग। लखनऊ: दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषय:- गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वितरण/समारोह के आयोजन आदि पर व्यय हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2159/जे0ए0/पुरस्कार/2016, दिनांक 19-12-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार नियमावली के प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मौलाना खालिद फरंगी महली को वर्ष 2016-17 के लिये इस पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है तथा उन्हें रू0 1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जानी है। उक्त पुरस्कार हेतु मौलाना खालिद फरंगी महली नि0-14, फरंगी महल, लखनऊ को रू0 1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) नकद/चेक से दिये जाने हेतु एवं रू0 1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) जन्म-दिवस समारोह आयोजन एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने हेतु अर्थात कुल धनराशि रू0 2,00,000/- (रूपया दो लाख मात्र) को श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निवर्तन पर रखने/व्यय करने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु किया जायेगा तथा व्यय के सदुपयोग का प्रमाण पत्र शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय के आकडों का मिलान महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद से कराके उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को यथासमय उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-3-2016 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1340/चालीस-2001-15(10)/99, दिनांक 03-8-2001 द्वारा निर्गत नियमावली (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित कार्यो पर ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु उनके जन्म दिवस दिनांक 05-1-2017 पूर्व से निर्धारित है। पुरस्कार दिये जाने की तिथि निश्चित होने पर आपको यथासमय सूचित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-53 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-11 गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वितरण/समारोह के आयोजन आदि पर व्यय-42 अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अशोक कुमार
सचिव।

संख्या-28/2016/1212(1)/चालीस-16-18(2)/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लांनिग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- जिला सूचना अधिकारी, लखनऊ।
9- गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।